



डी.पी.0 नं० ए.ए.0 डब्लू.0/ए.पी.0 पी.0 561

साइंस नं० डब्लू.0 पी.0-41

साइंस टू पोस्ट एंड कन्वेंशनल रूट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 2 मई, 1994

वैशाख 12, 1916 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अभुभाग—1

संख्या 813/स.व.ह-वि-1-1(क) 22-1994

लखनऊ, 2 मई, 1994

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश डाक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय (निरसन) विवेक, 1994 पर दिनांक 30 अप्रैल, 1994 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1994 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश डाक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय (निरसन) अधिनियम, 1994

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1994)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश डाक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1989 के निरसन के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पूर्वाली सर्वे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1-- (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश डाक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय (निरसन) अधिनियम, 1994 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

(2) यह एसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या
25 सन् 1989
का निरसन

2--उत्तर प्रदेश डाक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1989 एतद्वारा
निरमित किया जाता है।

आज्ञा से,
नरेन्द्र कुमार नारंग,
सचिव।

No. 813(2)/XVII-V-1-1 (KA) 22-1994

Dated Lucknow, May 2, 1994

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Doctor Bhimrao Ambedkar Vishwavidyalaya (Nirсан) Adhiniyam, 1989 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 15 of 1994) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 30, 1994.

**THE UTTAR PRADESH DOCTOR BHIMRAO AMBEDKAR
UNIVERSITY (REPEAL) ACT, 1994**

(U. P. Act no. 15 of 1994)

[As passed by the U. P. Legislature]

AN

ACT

*to repeal the Uttar Pradesh Doctor Bhimrao Ambedkar University
Act, 1989.*

IT IS HEREBY enacted in the Forty-fifth Year of the Republic of India
as follows :—

Short title and
commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Doctor Bhimrao
Ambedkar University (Repeal) Act, 1994.

(2) It shall come into force on such date as the State Government
may, by notification, appoint in this behalf.

Repeal of U. P.
Act no. 25 of
1989

2. The Uttar Pradesh Doctor Bhimrao Ambedkar University Act,
1989 is hereby repealed.

By order,
N. K. NARANG,
Sachiv.